बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03/भू0अ0नि0(2)आरोप(वि0सर्वे0अमीन)–बेगूसराय–11/2022 578 पटना, दिनांक 31/01/2024

आदेश

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी(मु0), बेगूसराय के पत्रांक 757 दिनांक 19.04.2023 द्वारा श्री सूरज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN03826) के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के आलोक में इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत निदेशालय पत्रांक 5336 दिनांक 30.06.2023 द्वारा इस शर्त्त के साथ स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण से मुक्त किया गया था कि दिनांक 31.07.2023 तक इनको आवंटित ग्राम का प्रारूप प्रकाशन नहीं होता है, तो इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा।

उक्त आदेश की अवधि समाप्ति के पश्चात् निदेशालय पत्रांक 8596 दिनांक 18.10.2023 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण 02 माह बाद भी समर्पित नहीं किया गया है, जो वरीय पदाधिकारी के निदेश की अवेहलना एवं मनमानेपन का द्योतक है। साथ ही निदेशालय पत्रांक 9143 दिनांक 11.12.2023 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय से श्री कुमार द्वारा किए जा रहे कार्यो की समीक्षा कर प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 2500 दिनांक 14.12.2023 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कुमार को आवंटित मौजा सिरनियाँ–430 में 19.04.2023 तक खानापुरी पूर्ण करने के बावजूद याद्दाश्त लेखन प्रारंभ नहीं किया गया है। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि ये दिनांक 24.07.2023 से शिविर कार्यालय से अनुपस्थित हैं। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाता हूँ कि पूर्व में इन्हें सशर्त स्पष्टीकरण से मुक्त किया गया था। इसके बावजूद भी इनको आवंटित ग्राम का प्रारूप प्रकाशन नहीं किया जा सका है। साथ ही ये दिनांक 24.07.2023 से अपने कार्य क्षेत्र से अनुपस्थित भी हैं। पूर्व निर्गत आदेश के आलोक में इनसे स्पष्टीकरण की भी मांग की गयी है, परन्तु इनके द्वारा इसका प्रतिउत्तर समर्पित नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि ये लापरवाह, अनुशासनहीन कर्मी है तथा अपने कार्यो के प्रति इन्हें कोई रूचि नहीं है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है। ऐसे संविदा कर्मियों के रहने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है एवं इसका कुप्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर भी पड़ सकता है। इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन बनाए रखना कार्यहित में उचित नहीं होगा।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री सूरज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN03826) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह) 31/1/24
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)आरोप(वि0सर्वे0अमीन)–बेगूसराय–11/2022 578 पटना, दिनांक :- 31/01/2024

प्रतिलिपि :– श्री सूरज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN03826), बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 03 / भू0अ0नि0(2)आरोप(वि0सर्वे0अमीन)–बेगूसराय–11 / 2022 578 **पटना, दिनांक** :— 31/07/2024

प्रतिलिपि :— बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 01 / भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)–30 / 2021(खंड–4) 578 **पटना, दिनांक** :— 31/07/2024

प्रतिलिपि :— श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट एवं इसकी स्कैन कॉपी निदेशालय अन्तर्गत R2R सॉफ्टवेयर में संधारित श्री कुमार की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप